11

संख्या : 67-दो(1)/XXXVI(2)/2012-6-दो(1)/10

प्रेषक,

प्रेम सिंह खिमाल,
अपर सचिव, न्याय एवं अपर विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

समस्त जिला-मजिस्ट्रेट,
उत्तराखण्ड ।

न्याय अनुभाग- 2 देहरादून : दिनांक: 27 नवम्बर, 2012

विषय: 13 वें वित्त आयोग की संस्तुति के कम में सरकारी अधिवक्ताओं के प्रशिक्षण के लिए प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति प्रदान किया जाना।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय अनुश्रवण समिति की दिनांक 25 मई, 2012 को आहूत बैठक में लिए गये निर्णयानुसार उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जिलों में 13वें वित्त आयोग की संस्तुति के कम में सरकारी अधिवक्ताओं के प्रशिक्षण के सम्बन्ध में यात्रा भत्ता तथा शासकीय अधिवक्ताओं को दण्डविधि एवं अभियोजन से सम्बन्धित पुस्तकों के कय किये जाने हेतु 42-अन्य व्यय मद में प्राविधानित **₹ 15.49 लाख (₹ पन्द्रह लाख उनचास हजार मात्र)** की धनराशि को आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की निम्नलिखित शर्तो के अधीन महामहिम राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

मद संख्या	जिला/संस्था का नाम	स्वीकृति हेतु प्रास्तावित धनराशि (₹ हजार में)	कम्प्यूटर आबंटन आई०डी० संख्या
0107-13 वां वित्त आयोग की संस्तुति के कम में सरकारी अधिवक्ताओं का प्रशिक्षण 42 अन्य व्यय ₹ 20.00 लाख	देहरादून	124	H1211040373
	हरिद्वार	200	H1210040184
	उधमसिंह नगर	125	H1211040374
	पौड़ी गढ़वाल	150	H1210040188
	टिहरी	100	H1211040315
	गोपेश्वर (चमोली)	100	H1211040371
	उत्तरकाशी	100	H1211040372
	चम्पावत	125	H1210040198
	पिथौरागढ़	125	H1210040199
	रूद्रप्रयाग	100	H1210040196
	बागेश्वर	100	H1210040195
	अल्मोड़ा	100	H1211040505
	नैनीताल	100	H1211040314
कुल योग :-		1549	

1- व्यय से पूर्व बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका, स्टोर पर्चेज रूल्स, मितव्ययता के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत आदेशों का पालन किया जाना होगा।

2- व्यय किये जाने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) नियमावली, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना होगा ।

3- सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 15 अप्रैल, 2013 तक भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराया जायेगा।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय-व्यय के अनुदान संख्या-04 के आयोजनेत्तर पक्ष में लेखा-शीर्षक "2014-न्याय प्रशासन-00- आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-0107-13वें वित्त आयोग की संस्तुति के क्रम में सरकारी अधिवक्ताओं का प्रशिक्षण-42-अन्य के नामें डाला जायेगा ।

5- यह आदेश वित्त अनुभाग-5 के अशासकीय संख्या-118-NP/XXVII(5)/2012, दिनांक: 22 नवम्बर, 2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(प्रेम सिंह खिमाल)
अपर सचिव ।

संख्या : 67-दो(1)/XXXVI(2)/2012-तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), ओबराय बिल्डिंग, उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
2. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल को उच्च स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक दिनांक 25.05.2012 में लिये गये निर्णय के क्रम में सूचनार्थ।
3. निदेशक, उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, भवाली, नैनीताल को उच्च स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक दिनांक 25.05.2012 में लिये गये निर्णय के क्रम में सूचनार्थ।
4. वित्त अधिकारी, केन्द्रीय भुगतान एकक, उत्तरखण्ड,23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
5. मीडिया सेंटर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. वित्त आयोग निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. नियोजन विभाग/वित्त अनुभाग-5, उत्तराखण्ड शासन ।
9. एन०आई०सी०/गार्ड फाईल ।

(प्रेम सिंह खिमाल)
अपर सचिव ।